विषय: विधि कार्य विभाग की वेबसाइट के अद्यतनीकरण हेतु शाखा सचिवालय, बेंगलुरु से संबंधित सामग्रियों के संबंध में ।

शाखा सचिवालय के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों से संबंधित वादकरिता तथा केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों/मंत्रालयों की सलाहकारिता सम्मिलित हैं । शाखा सचिवालय, बेंगलूरु के कार्यालय प्रमुख, सहायक कानूनी सलाहकार हैं ।

सलाह :

शाखा सचिवालय के द्वारा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना राज्यों तथा पुतुच्चेरी केंद्र शासित प्रदेश में स्थित केंद्र सरकार के सभी विभागों एवं कार्यालयों को कानूनी सलाह दी जाती है। सलाहकारिता के कार्य के अंतर्गत अभिवचन की जाँच एवं पुनरीक्षण अर्थात आपत्ति विवरण, कर्नाटक के उच्च न्यायालय, बेंगलूरु एवं धारवाड़ तथा कलबुर्गी में स्थित कर्नाटक के उच्च न्यायालय की खंडपीठ; हैदराबाद में स्थित तेलंगाना के उच्च न्यायालय; अमरावती में स्थित आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले प्रति शपथ-पत्र और बेंगलुरू में स्थित केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के समक्ष प्रस्तुत उत्तर विवरण; जिला न्यायालयों, अधीनस्थ न्यायालयों और विभिन्न अन्य न्यायाधिकरणों के समक्ष प्रस्तुत लिखित विवरण, प्रति शपथ-पत्र प्रति विवरण, संस्करण आदि सम्मिलित हैं । शाखा सचिवालय के द्वारा आवश्यकतानुसार एसएलपी, अपील, समीक्षा आदि प्रस्तुत करने की व्यवहार्यता की जाँच, विभागों को उनके द्वारा की जाने वाली कार्रवाई की न्यायिक

स्थिरता पर मार्गदर्शन प्रदान करने वाले नियमों की व्याख्या और प्रशासनिक विभागों के साथ परिचर्चा करने का कार्या भी किया जाता है ।

वादकारिता:

शाखा सचिवालय के द्वारा कर्नाटक के उच्च न्यायालय, बेंगलुरु में स्थित केंद्र सरकार के विभागों और कार्यालयों, धारवाड़ एवं कलबुर्गी में स्थित कर्नाटक के उच्च न्यायालय के सर्किट बेंच तथा हैदराबाद में स्थित तेलंगाना राज्य के उच्च न्यायालय और अमरावती में स्थित आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय तथा बेंगलूरु शहर और कर्नाटक, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश के अधिकांश जिले में स्थित अधीनस्थ न्यायालय तथा इन राज्यों में स्थित कैट तथा पुतुच्चेरी केंद्र शासित प्रदेश (आंध्रप्रदेश सहित) के पूरे मुकदमों की निगरानी की जाती है। इस शाखा सचिवालय के द्वारा जिला उपभोक्ता विवाद निवारण मंचों, राज्यों के राज्य उपभोक्ता निवारण आयोगों, केंद्र सरकार के कार्यालयों तथा औद्योगिक न्यायाधिकरण और ऋण वसूली न्यायाधिकरण की सरकारी वादकारिता का कार्य भी देखा जाता है। इस संबंध में, शाखा सचिवालय के कार्य में काउंसेल की नियुक्ति/ नामांकन एवं कर्नाटक उच्च न्यायालय, प्रधान बेंच, बेंगलूरु, कैट, बेंगलूरु तथा कर्नाटक के जिला व अधीनस्थ न्यायालय और कर्नाटक राज्य सरकार न्यायाधिकरणों एवं आयोगों के लिए केंद्र सरकार के काउंसल के बीच मामलों का वितरण सम्मिलित हैं।

सलाहकार शुल्क बिल

इस शाखा सचिवालय के द्वारा स्वयं अधिवक्ता शुल्क बिलों का संसाधन किया जाता है और अपनी केंद्रीकृत निधि से सीधे भारत के सहायक सॉलिसिटर जनरल एवं कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलूरु में केंद्र सरकार के अधिवक्ता को शुल्क का भुगतान किया जाता है । धारवाड़ एवं गुलबर्गा में कर्नाटक के उच्च न्यायालय की सर्किट बेंचों से संबंधित अधिवक्ता शुल्क बिल का संसाधन शाखा सचिवालय, बेंगलुरु के द्वारा नहीं, बल्कि उस विभाग द्वारा किया जाता है, जहाँ अधिवक्ता से संबंधित मामलों का निपटान किया जाता है । संबंधित विभाग के द्वारा ही कैट, जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में केंद्र सरकार के काउंसल पैनल के शुल्क का भुगतान किया जाता है। इसलिए इस शाखा सचिवालय के द्वारा अधिवक्ता शुल्क बिलों के प्रमाणन का कार्य नहीं किया जा रहा है। हालाँकि, जब अनुरोध प्राप्त होता है, तब मंत्रालय के द्वारा स्पष्टीकरण दिया जाता है।

अनुगम्यता शुल्क:

इस शाखा सचिवालय के द्वारा कर्नाटक राज्य के जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष केन्द्र सरकार के मुकदमों के संचालन के लिए विधिक कार्य विभाग द्वारा नियुक्त स्थाई सरकारी परामर्शदाताओं को अनुगम्यता (रिटेनरशिप) शुल्क का भुगतान क्या जाता है।